

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651-2400981, फैक्स:0651-2400982, ई-मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गुमला।

राँची, दिनांक 24.02.2022

विषय:- गुमला जिलान्तर्गत गुमला प्रखण्ड में अवस्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, गुमला (भाग-II) के चाहरदिवारी नवनिर्माण हेतु रू० 14,85,600/- (चौदह लाख पचासी हजार छः सौ) मात्र निधि का आवंटन।

- प्रसंग - (1) विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-40/रा०, दिनांक-03.11.2021 एवं 53/रा०, दिनांक- 24.01.2022 एवं आवंटनादेश सं०- 40/आ०, दिनांक-22.10.2021
(2) उपायुक्त, गुमला के पत्रांक- 136/जि०यो०, दिनांक-17.02.2022

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश पत्रों तथा उपायुक्त, गुमला के अधियाचना पत्र के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उपशीर्ष -56- राज्य, जिला एवं अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम एवं खेल संरचना का मरम्मति, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव- विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण- प्राथमिक इकाई- 43- अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 14,85,600/- (चौदह लाख पचासी हजार छः सौ) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोड: 52S22040079656000543)

क्र.	आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम	योजना का नाम	स्वीकृति राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	उपायुक्त, गुमला	गुमला जिलान्तर्गत गुमला प्रखण्ड में अवस्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, गुमला (भाग-II) के चाहरदिवारी नवनिर्माण	24,85,600-	10,00,000/-	14,85,600/-
		कुल	24,85,600-	10,00,000/-	14,85,600/-

(चौदह लाख पचासी हजार छः सौ) रुपये मात्र।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, गुमला होंगे जो इस योजना का कार्यान्वयन कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (व्यय विवरणी सहित) अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करायेंगे।
3. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. राशि की निकासी जिला कोषागार, गुमला से की जायगी।

ज्ञापांक :- 93/आ.

प्रतिलिपि:- निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आ०वि०स०/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गुमला/महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक: 24.02.2022

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव